

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


क्रमांक: 29

दिनांक: 04.03.2020

समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक 27 दिनांक 04.03.2020 जो कोरोना वायरस एवं इटली के पर्यटकों से सम्बन्धित है, को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित (withdraw) किया जाता है। इस संबंध में अग्रिम आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

 04/03/2020


अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक

दिनांक:—04.03.2020

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.टी.सी.जयपुर।
3. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
4. अध्यक्ष राजस्थान होटल एसोसिएशन, जयपुर।
5. सर्वर रूम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

 04/03/2020

अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग